उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या– 55 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियमः 214–214.8 / अनुशासन एवं अपील / 2021 दिनांकः 10 / 04 / 2023

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.03.2023 को सम्पन्न 214वीं बैठक में एजेण्डा आइटम संख्या – 214.8 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में निगमादेश संख्याः 123 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियम:195–195.23 / अनुशासन एवं अपील / 2021, दिनांक 29.07.2021 द्वारा निर्गत **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021"** में एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रथम संशोधन किया जाता है:–

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021 (प्रथम संशोधन)

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की आवश्यकतानुसार ई0आर0पी0 प्रणाली में प्रदत्त दण्ड की प्रविष्टि की सुविधा हेतु तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अधिकतम वेतनमान में स्थिरता प्राप्त कर चुके कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त / स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को प्रदत्त दण्डादेशों के क्रियान्वयन हेतु, निगमादेश संख्याः 123 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियम:195–195.23 / अनुशासन एवं अपील / 2021, दिनांक 29.07.2021 द्वारा निर्गत **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021"** के विनियम–3 **"शास्तियाँ"** के अन्तर्गत स्तम्भ–01 के अनुसार **लघु शास्तियाँ (एक)** व **(दो)** एवं **दीघ्र शास्तियाँ (एक)**, को निम्नानुसार स्तम्भ–02 में उल्लिखित व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021 का वर्तमान में प्रचलित विनियम–3 "शास्तियाँ"	प्रतिस्थापित विनियम
स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
<u>लघु शास्तियाँ</u> (एक) परिनिन्दा (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना।	<u>लघु शास्तियाँ</u> (एक) परिनिन्दा (Censure) (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्धि को असंचयी प्रभाव से कम किया जाना।
<u>दीघ्र शास्तियाँ</u> (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना।	<u>दीघ्र शास्तियाँ</u> (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से कम किया जाना।

2– उपरोक्तानुसार, **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021" में प्रथम संशोधन** तत्काल समय से प्रभावी माना जायेगा। निगमादेश संख्याः 123/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः195–195.23/अनुशासन एवं अपील/2021, दिनांक 29.07.2021 द्वारा निर्गत "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021" उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या– 55/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः 214–214.8/अनुशासन एवं अपील/2021 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र /सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक/प्रगति, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 27.03.2023 को सम्पन्न 214वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–214.8 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/रिफॉर्म/टा0वा0से0), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0), उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

10/04/23

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)